# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

दावा संख्या 59 / 25 दायरा दिनांक 18.07.2025

**पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)**

1–आनंदीबाई पत्नि रामचरण उम्र 55 वर्ष जाति सहरिया निवासी ग्राम मामोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2–भग्गोबाई पत्नि दयाराम उम्र 50 वर्ष जाति सहरिया निवासी ग्राम मामोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
3–दक्खोबाई पत्नि तुरसी उम्र 43 वर्ष जाति सहरिया निवासी ग्राम मामोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
4–चिन्जोबाई पत्नि फूलचन्द उम्र 40 वर्ष जाति सहरिया निवासी ग्राम मामोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

वादीगण

बनाम

1–छुट्टी उर्फ छुट्टो पुत्री मुकन्दी पत्नि रमेश जाति सहरिया निवासी ग्राम मामोनी हाल निवासी ग्राम कलोनिया तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत धारा 88,89,90,91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

**<u>निर्णय दिनांक– 16.09.2025</u>**

उपस्थित –
वादीगण की ओर से – श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से – स्वयं उपस्थित

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बिहारीपुरा पटवार क्षेत्र गदरेटा तहसील शाहाबाद के खाता संख्या 26 में आराजी ख0नं0 279 / 387 रकबा 8.17 बीघा किस्म बा. च. लगानी 2.66 रूपये स्थित है, जो वर्तमान जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, इस आराजी को आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2064–67 में प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 1 की माता हटिया उर्फ हरिया बेवा मुकन्दी के नाम दर्ज थी, जिनसे विवादित आराजी वादीगण ने 07–01–2009 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये क्रय कर दखल व कब्जा प्राप्त किया है और तभी से निरंतर वादीगण उक्त भूमि को साधिकार काबिज होकर काश्त करती चली आ रही हैं। नियमानुसार कोई भी विक्रयपत्र पंजीयन बावत तीन प्रतियों में उप पंजीयक [illegible] किया जाता है, जिसमें से मूल प्रति बाद पंजीयन केता को लौटा दी जाती है, [illegible] प्रति पंजीयन कार्यालय में रेकार्ड के रूप में रख ली जाती है [illegible] प्रति नाम[illegible] खारिज हेतु सम्बन्धित पटवारी को भेज दी जाती है। क्रय प[illegible] प्रति वादीगण ने तत्कालीन हल्का पटवारी को भी दे दी थी इसके बावजूद [illegible] के विक्रयपत्र का [illegible] आज तक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में नहीं किया गया है। दिनांक 08–07–2025 [illegible]सी.सी. बनवाने हेतु वादीगण ने जब हल्का पटवारी से विवादित आराजी की नकल जमाबंदी प्राप्त की तब वादीगण को पता चला कि उनके विक्रयपत्र का अमल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में नहीं किया गया है, जबकि वादीगण क्रय दिनांक 07–01–2009 से विवदित आराजी को बहैसियत मालिक काबिज हो काश्त करते चले आ रहे हैं और विवादित आराजी बावत

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.09.20 18:11:56 IST
Reason: SelfAttested

16.09.2025
उपखण्ड अधिकारी

अपने नाम खातेदारी हक की घोषणा करा खाता दर्ज कराने के अधिकारी हैं। विक्रेता हरिया उर्फ हटिया की मृत्यु हो चुकी है जिसकी वैधनिक वारिस प्रतिवादी संख्या 1 ही होने से विक्रेता हरिया उर्फ हटिया का नाम नामान्तरण संख्या 418 दिनांक 04–06–2015 के जरिये खाते से खारिज कर दिया गया है, जिसका नोट जमाबंदी 2068–71 में दर्ज है और इस प्रकार विवादित आराजी अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। अतः वाद पत्र पेश कर श्रीमान से प्रार्थना है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खाता संख्या 26 की आराजी खसरा संख्या 279/387 रकबा 8.17 बीघा ग्राम बिहारीपुरा पटवार क्षेत्र गदरेटा तहसील शाहाबाद का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादीगण के नाम दर्ज कराये जाने की कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के साथ उपस्थित आकर प्रकरण में राजीनामा पेश किया, जिसे बाद तस्दीक स्वीकार किया गया। राजीनामे में प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया है कि ग्राम बिहारीपुरा पटवार क्षेत्र गदरेटा तहसील शाहाबाद स्थित आराजी खसरा संख्या 279/387 रकबा 8.17 बीघा मुझ प्रतिवादी कम 1 छुट्टी उर्फ छुट्टो तथा मुझ प्रतिवादीकम 1 की माता हटिया उर्फ हरिया के नाम दर्ज थी, जिसे हमने वादीगण के हक में विक्रय कर दिनांक 07–01–2009 को विक्रयपत्र पंजीयन करा दिया है तभी से विक्रय के आधार पर उक्त भूमि को वादीगण काश्त करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में हटिया उर्फ हरिया फोत हो चुकी है, जिसका नाम खाते से हट चुका है। उक्त भूमि को विक्रयपत्र दिनांक 07–01–2009 के आधार पर वादीगण के नाम दर्ज किया जावे। इस प्रकार राजीनामा तथा प्रस्तुत विक्रयपत्र के आधार पर विवादित आराजी ख0नं0 279/387 रकबा 8.17 बीघा ग्राम बिहारीपुरा तहसील शाहाबाद को वादीगण अपने नाम खातेदारी घोषणा कराने के वैध हकदार पाये जाते हैं।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को विवादित आराजी ख0नं0 279/387 रकबा 8.17 बीघा ग्राम बिहारीपुरा तहसील शाहावाद का समान हक से खातेदार घोषित किया जाता है और तहसीलदार शाहाबाद को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादीगण के नाम दर्ज करें। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

16.09.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.09.20 18:11:56 IST
Reason: SelfAttested